NATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING, SCIENCE, MANAGEMENT, ARTS AND HUMANITIES (NCESMAH – 2021)
31ST OCTOBER, 2021

CERTIFICATE NO : NCESMAH /2021/C1021786

ट्रांसजेंडर/हिजड़ों के अधिकार और कानूनी स्थिति का अध्ययन

SOHAN KUMAR YADAV

Research Scholar, Department of Education,
Dr. A.P.J. Abdul Kalam University, Indore, M.P.

सारांश

भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अनिवार्य करती है। हमारा संविधान समानता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14) को आवंटित करता है, लिंग, जाति, पंथ या धर्म के आधार पर भेदभाव (अनुच्छेद 15), निजता और व्यक्तिगत गरिमा के अधिकार (अनुच्छेद 21) और भिखारियों के रूप में मानव तस्करी पर रोक लगाता है। और इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम। चुनाव आयोग ने 2014 के आम चुनावों में मतदाताओं के रूप में 28,341 ट्रांसजेंडरों को पंजीकृत किया था। भारत में कुल ट्रांसजेंडर आबादी के केवल 6% के पास मतदाता पहचान पत्र हैं (नाको, 2013–2014)। टीजी/हिजड़ों को भी अपने नागरिकता अधिकारों का प्रयोग करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।